

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



नियम व शर्तें

1. विश्वविद्यालय परिसर में जलपान गृह संचालन हेतु रू0 50000.00 (रू0 पचास हजार मात्र) की धनराशि प्रतिभूति के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना होगा जो कि नगद/बैंक ड्राफ्ट जो कि वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के नाम मान्य होगा प्रतिभूति राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।
2. ठेके की दरों का प्रथम बार में ही स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा । दरों के सन्दर्भ में अतिरिक्त कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी ।
3. ठेकेदार का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक न होने पर किसी भी समय बीच में ठेका समाप्त किया जा सकता है । जिसके लिए ठेकेदार को कोई मुआवजा देय नहीं होगा ।
4. विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना ठेकेदार द्वारा ठेका स्थानान्तरण करने का अधिकार न होगा ।
5. ठेकेदार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक धन किसी भी व्यक्ति से वसूल नहीं किया जायेगा । यदि अधिक धनराशि वसूल करने की शिकायत प्राप्त होगी तो विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि उसे जाँच कराकर यदि स्थिति स्पष्ट हो जाती है तो ठेका निरस्त कर जमानत की धनराशि जब्त कर ले ।
6. किसी भी प्रकार का विवाद होने होने पर छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर का निर्णय अन्तिम रूप से ठेकेदार को मान्य होगा तथा किसी भी दशा में वाद कानपुर से बाहर न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकता ।
7. विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि कोई भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त कर सकता है ।
8. जलपान गृह चलाने हेतु आवश्यक विद्युत व्यय भार फर्म को नियमानुसार प्रतिमाह विश्वविद्यालय के कैंस काउन्टर पर नगद जमा करना होगा ।
9. ठेका स्वीकृत या अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा ।
10. ठेकेदार को प्रथम पक्ष के रूप में निविदा-पत्र के साथ संलग्न अनुबन्ध पत्र के आधार पर निश्चित अवधि में अनुबंध करना होगा ।
11. निविदा लिफाफे के ऊपरी भाग पर "जलपान गृह चलाने हेतु ठेका" अवश्य अंकित करें ।
12. ठेके के निर्धारित समय के मध्य विचलन/छोड़ने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी निविदादाता को काली सूची में सूचीबद्ध किया जा सकता है ।

कुलसचिव

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



क्रमांक :

मूल्य रू0 200/- (दो सौ मात्र)

निविदा - प्रपत्र

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के परिसर में टेके पर कैन्टीन चलाने हेतु इच्छुक निविदा दाताओं से दिनांक 10.09.2009 को अपराह्न 12.00 बजे तक प्रतिष्ठित कैन्टीन संचालकों से जिन्हे कैन्टीन/मेस/कैटरिंग चलाने का कम से कम 10 वर्षों का अनुभव हो उनसे निविदायें आमंत्रित की जाती है, जो कि सहायक कुलसचिव (प्रशा0) कक्ष में रखे टेण्डर बॉक्स में डाली जायेगी। जो उसी तिथि को अपराह्न 2.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष विश्वविद्यालय परिसर स्थित सभा कक्ष में खोली जायेगी। निविदा पत्र के लिफाफे के ऊपर “जलपान गृह संचालन हेतु निविदा” लिखना आवश्यक है। निविदा पत्र की निर्धारित धरोहर धनराशि रू0 50000.00 नकद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के नाम जमा करना आवश्यक है। बगैर धरोहर धनराशि के निविदा-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। आपेक्षित नियम/शर्तें तथा खाद्य सामग्री की सूची निविदा-पत्र के साथ संलग्न है। निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.kanpuruniversity.org से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। किन्तु डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रू0 200.00 का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।

निविदा – प्रपत्र का विवरण निम्नवत् है :

1. आवेदक का नाम :
2. पिता का नाम :
3. पता :
4. ट्रेड टैक्स नं0. : वैद्यता की अवधि
5. टैन नं0 :
6. कार्य का अनुभव प्रमाण सहित :
7. निविदा पत्र कय करने सम्बन्धी प्राप्त रसीद का विवरण :
बैंक का नाम ड्राफ्ट सं0 व तिथि धनराशि
बुक सं0 कम सं0 रू0 दिनांक
(एक प्रति संलग्न करें)
8. धरोहर धनराशि जमा करने का विवरण :
1. बुक सं0 कम सं0 रू0 दिनांक
(एक प्रति संलग्न करें)
2. बैंक ड्राफ्ट सं0 दिनांक रू0 संलग्न करें।
9. इस निविदा के साथ संलग्न नियम शर्तें पूर्ण रूप स्वीकार हैं निविदा स्वीकृत होने की दशा में कार्यादेश प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर अनुबन्ध पत्र सम्पादित कर आपूर्ति/संचालन का कार्य समय से प्रारम्भ करूँगा।
आवेदक के हस्ताक्षर :
आवेदक का नाम :
पूर्ण पता :
दूरभाष नं0 :

पैन/टैन नं0 :